



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 26, 2010/फाल्गुन 7, 1931

No. 60]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 26, 2010/PHALGUNA 7, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 12(2)/2009 मेडि. मिस./76564.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन), 2010" कहा जाए।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :
3. 'केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची I, खण्ड ख 6 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"1. स्थान की आवश्यकता—

औषधालय : 2000 वर्ग फीट (इसमें वाडों और बहिरंग रोगी विभागों में उपलब्ध औषधि वितरण सेवाओं के सभी क्षेत्र, मरीज परामर्श स्थान, मालसूची स्थान, स्टाफ स्थान तथा सभी भंडार स्थान शामिल होने चाहिये)।

इग और विष सूचना सेवायें : वे औषध विज्ञान विभाग द्वारा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं और इन्हें इसी प्रकार बनाये रखा जाना चाहिये।

2. स्टाफ की आवश्यकता—

पाइंट संख्या ख 6 "केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी" के अंतर्गत 'प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999' के मौजूदा विनियमों के अनुसार, केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी का प्रभारी एक अर्हता प्राप्त भेषजज्ञ होना चाहिये। वह वरीयतः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी. फार्मा./किसी मान्यताप्राप्त निकाय से डी. फार्मा. होना चाहिये। वह केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी का प्रमुख हो सकता/सकती है और उसे चिकित्सा अधीक्षक के पर्यवेक्षणाधीन कार्य करना चाहिये।

सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित अन्य स्टाफ, औषधियों के वितरण के लिये उपलब्ध होना चाहिये।

3. अवसरचरणात्मक आवश्यकताएं (संख्याएं यथा अपेक्षित भिन्न-भिन्न हो सकती हैं)

रेफ्रीजरेटर

-02

मेजें

-10

कुर्सियाँ

-15

औषधि वितरण मेजें (2 × 8 फीट)

-05

कम्प्यूटर (आवश्यकता पर निर्भर करते हुए)	-05
कम्प्यूटर कुर्सियाँ	-05
फाईल केबिनेट	-02
पाठ्य पुस्तकों के लिये रैक	-02
कम्प्यूटर मेजें	-05
दूरभाष सुविधायें	
मुद्रण सुविधायें	
इंटरनेट सुविधायें (उच्च गति)	

उपरोक्त संख्याएं न्यूनतम आवश्यकता है। तथापि, वास्तविक संख्या, अस्पताल की आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।

4. औषधि सूचना के लिये अपेक्षित संसाधन :

औषधि-विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय पुस्तकालय में औषधि कोष/राष्ट्रीय फोर्मुलरीज और महत्त्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें तथ जर्नल उपलब्ध होने चाहिए।”

ले.क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/100/09]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 50 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998-मेडि. (II) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के गजट के भाग III, धारा 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धि-पत्र द्वारा संशोधित और 20 अक्टूबर, 2008, दिनांक 8 जुलाई, 2009, 13 नवम्बर, 2009, 18 जनवरी, 2010 और 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th, February, 2010

No. MCI.12 (2)/2009-Med. Misc./76564.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—
3. In Schedule-I, Clause B. 6 under the heading ‘CENTRAL HOSPITAL PHARMACY’, the following shall be added :—

“1. Space Requirement—

Dispensary : 2000 Sq. ft. (It should include all areas of dispensing services available in wards and OPDs, patient counseling, Inventory, staff and all stores).

Drug and poison information services : They are being provided by the Pharmacology Department as a part of MBBS curriculum and should be continued as such.

2. Staff requirement—

As per existing Regulations of Minimum Standard Requirements for the Medical College for 50 Admissions Annually Regulations, 1999 under point number B6 “Central Hospital Pharmacy”—the Incharge of Central Hospital Pharmacy should be a qualified pharmacist. He should be preferably B. Pharma from a recognized university/D.Pharma from a recognized body. He/she may be Head of the Central Hospital Pharmacy and should work under the supervision of Medical Superintendent.

Other staff certified by statutory authorities should be available to dispense the drugs.

3. Infrastructural Requirements (Numbers may vary as required) —	
Refrigerators	: 02
Tables	: 10
Chairs	: 15
Dispensing tables (2 × 8 ft)	: 05
Computers (depending on the need)	: 05
Computer chairs	: 05
File cabinets	: 02
Text book racks	: 02
Computer tables	: 05
Telephone facilities	
Printing facilities	
Internet facilities (high speed)	

The above numbers are minimum requirement. However the actual number may vary as per requirement of the hospital.

4. Resources required for Drug information

Pharmacopoeias/National Formularies and important text books and journals should be available in Central library as per recommendation of Prof. and HOD, Pharmacology Department."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/Exty/100/09]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Minimum Requirements for 50 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med.(ii) dated the 30th March, 1999 and amended vide corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended vide Notification dated 20th October, 2008, 8th July, 2009, 13th November, 2009, 18th January, 2010 and 30th January, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 12(2)/2009 मेडि. मिस./76564.— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमवली (संशोधन) 2010" कहा जाए।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :-
3. 'केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची I, खण्ड ख 6 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :-

"1. स्थान की आवश्यकता

औषधालय : 2000 वर्ग फीट (इसमें वाडों और बहिरंग रोगी विभाग में उपलब्ध औषधि वितरण सेवाओं के सभी क्षेत्र, मरीज परामर्श स्थान, मालसूची स्थान, स्टाफ स्थान तथा सभी भंडार स्थान शामिल होने चाहिए)।

ड्रग और विष सूचना सेवार्यें : वे औषध विज्ञान विभाग द्वारा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं और इन्हें इसी प्रकार बनाये रखा जाना चाहिये।

2. स्टाफ की आवश्यकता :

पाइंट संख्या ख 6 "केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी" के अंतर्गत 'प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999' के मौजूदा विनियमों के अनुसार, केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी का प्रभारी एक अर्हता प्राप्त भेषजज्ञ होना चाहिये। वह वरीयतः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी. फार्मा/किसी मान्यताप्राप्त निकाय से डी. फार्मा होना चाहिये। वह केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी का प्रमुख हो सकता/सकती है और उसे चिकित्सा अधीक्षक के पर्यवेक्षणाधीन कार्य करना चाहिये। सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित अन्य स्टाफ, औषधियों के वितरण के लिये उपलब्ध होना चाहिये।

3. अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं : (संख्याएं यथा अपेक्षित भिन्न-भिन्न हो सकती हैं)

रेफ्रीजरेटर

मेजें	-10
कुर्सियाँ	-15
औषधि वितरण मेजें (2 × 8 फीट)	-05
कम्प्यूटर (आवश्यकता पर निर्भर करते हुए)	-05
कम्प्यूटर कुर्सियाँ	-05
फाईल केबिनेट	-02
पाठ्य पुस्तकों के लिये रैक	-02
कम्प्यूटर मेजें	-05
दूरभाष सुविधायें	
मुद्रण सुविधायें	
इंटरनेट सुविधायें (उच्च गति)	

उपरोक्त संख्याएं न्यूनतम आवश्यकता है। तथापि, वास्तविक संख्या, अस्पताल की आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।

4. औषधि सूचना के लिये अपेक्षित संसाधन :

औषध-विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय पुस्तकालय में औषध कोष/राष्ट्रीय फोर्मुलरीज और महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें तथ जर्नल उपलब्ध होने चाहिए।”

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/100/09]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 100 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998-मेडि (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 1 दिसम्बर, 2008, 13 नवंबर, 2009, 18 जनवरी, 2010 और 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

No. MCI.12 (2)/2009-Med. Misc./76564.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In Schedule-I, Clause B. 6 under the heading ‘CENTRAL HOSPITAL PHARMACY’, the following shall be added :—

“1. Space Requirement—

Dispensary : 2000 sq. ft. (It should include all areas of dispensing services available in wards and OPDs, patient counselling, Inventory, staff and all stores).

Drug and poison information services : They are being provided by the Pharmacology Department as a part of MBBS curriculum and should be continued as such.

2. Staff requirement—

As per existing Regulations of Minimum Standard Requirements for the Medical College for 100 Admissions Annually Regulations, 1999 under point number B6 “Central Hospital Pharmacy”—the Incharge of central hospital pharmacy should be a qualified pharmacist. He should be preferably B. Pharma from a recognized university/ D. Pharma from a recognized body. He/she may be Head of the central hospital pharmacy and should work under the supervision of Medical Superintendent.

Other staff certified by statutory authorities should be available to dispense the drugs.

3. Infrastructural Requirements : (Numbers may vary as required)

Refrigerators	:02
Tables	:10
Chairs	:15
Dispensing tables (2 × 8 ft)	:05
Computers (depending on the need)	:05
Computer chairs	:05
File cabinets	:02
Text book racks	:02
Computer tables	:05
Telephone facilities	
Printing facilities	
Internet facilities (high speed)	

The above numbers are minimum requirement. However the actual number may vary as per requirement of the hospital.

4. Resources required for Drug information

Pharmacopoeias/National Formularies and important text books and journals should be available in Central Library as per recommendation of Prof. and HOD, Pharmacology Department."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/Exty/100/09]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Minimum Requirements for 100 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med.(ii) dated the 30th March, 1999 and amended vide Corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended vide Notification dated 20th October, 2008, 1st December, 2008, 13th November, 2009, 18th January, 2010 and 30th January, 2010.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2010

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि. मिस./76564.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से एदतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः—

1. (i) इन विनियमों को "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली (संशोधन) 2010" कहा जाए।
(ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. 'केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी' शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची I, खण्ड ख 6 में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :—

"1. स्थान की आवश्यकता—

औषधालय : 2000 वर्ग फीट (इसमें वाडों और बहिरंग रोगी विभागों में उपलब्ध औषधि वितरण सेवाओं के सभी क्षेत्र, मरीज परामर्श स्थान, मालसूची स्थान, स्टाफ स्थान तथा सभी भंडार स्थान शामिल होने चाहिए)।

ड्रग और विष सूचना सेवायें :

वे औषध-विज्ञान विभाग द्वारा एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं और इन्हें इसी प्रकार बनाये रखा जाना चाहिये।

2. स्टाफ की आवश्यकता :

पाइंट संख्या ख 6 "केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी" के अंतर्गत 'प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999' के मौजूदा विनियमों के अनुसार, केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी का प्रभारी एक अर्हता प्राप्त भेषजज्ञ होना चाहिये। वह वरीयतः

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी. फार्मा./किसी मान्यताप्राप्त निकाय से डी. फार्मा होना चाहिये। वह केन्द्रीय अस्पताल फार्मसी का प्रमुख हो सकता/सकती है और उसे चिकित्सा अधीक्षक के पर्यवेक्षणाधीन कार्य करना चाहिये।

सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित अन्य स्टाफ, औषधियों के वितरण के लिये उपलब्ध होना चाहिये।

3. अवसंरचनात्मक आवश्यकताएं (संख्याएं यथा अपेक्षित भिन्न-भिन्न हो सकती हैं)

रेफ्रीजरेटर	:	02
मेजें	:	10
कुर्सियाँ	:	15
औषधि वितरण मेजें (2 × 8 फीट)	:	05
कम्प्यूटर (आवश्यकता पर निर्भर करते हुए)	:	05
कम्प्यूटर कुर्सियाँ	:	05
फाईल केबिनेट	:	02
पाठ्य पुस्तकों के लिये रैक	:	02
कम्प्यूटर मेजें	:	05
दूरभाष सुविधायें		
मुद्रण सुविधायें		
इंटरनेट सुविधायें (उच्च गति)		

उपरोक्त संख्याएं न्यूनतम आवश्यकता है। तथापि, वास्तविक संख्या, अस्पताल की आवश्यकता के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है।

4. औषधि सूचना के लिये अपेक्षित संसाधन :

औषध-विज्ञान विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय पुस्तकालय में औषध कोष/राष्ट्रीय फोर्मुलरीज और महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें तथा जर्नल उपलब्ध होने चाहिए।”

ले.क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/100/09]

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली नामतः “प्रतिवर्ष एम.बी.बी.एस. में 150 दाखिलों के लिए न्यूनतम शर्तें विनियमावली, 1999” को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 30 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 35 (1)/1998-मेडि. (ii) के अंतर्गत दिनांक 29 अप्रैल, 1999 को भारत के राजपत्र के भाग III, धारा 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 24 जून, 1999 के शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित और दिनांक 20 अक्टूबर, 2008, 8 जुलाई, 2009, 13 नवंबर, 2009, 18 जनवरी, 2010 और 30 जनवरी, 2010 की अधिसूचना के अंतर्गत पुनः संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2010

No. MCI.12 (2)/2009-Med. Misc./76564.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956(102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These regulations may be called the “Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations (Amendment), 2010”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—
3. In Schedule-I, Clause B. 6 under the heading ‘CENTRAL HOSPITAL PHARMACY’, the following shall be added :—

“1. Space Requirement—

Dispensary : 2000 sq. ft. (It should include all areas of dispensing services available in wards and OPDs, patient counseling, Inventory, staff and all stores).

Drug and poison information services

They are being provided by the Pharmacology Department as a part of MBBS curriculum and should be continued as such.

2. Staff requirement—

As per existing Regulations of Minimum Standard Requirements for the Medical College for 150 Admissions Annually Regulations, 1999 under point number B6 "Central Hospital Pharmacy" the Incharge of central hospital pharmacy should be a qualified pharmacist. He should be preferably B. Pharma from a recognized university/ D. Pharma from a recognized body. He/she may be Head of the central hospital pharmacy and should work under the supervision of Medical Superintendent.

Other staff certified by statutory authorities should be available to dispense the drugs.

3. Infrastructural Requirements (Numbers may vary as required)

Refrigerators	:	02
Tables	:	10
Chairs	:	15
Dispensing tables (2 × 8 ft)	:	05
Computers (depending on the need)	:	05
Computer chairs	:	05
File cabinets	:	02
Text book racks	:	02
Computer tables	:	05
Telephone facilities		
Printing facilities		
Internet facilities (high speed)		

The above numbers are minimum requirement. However the actual number may vary as per requirement of the hospital.

4. Resources required for Drug information

Pharmacopoeias/National Formularies and important text books and journals should be available in Central Library as per recommendation of Prof. and HOD, Pharmacology Department."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/4/Exty./100/09]

Foot Note : The Principal Regulations namely, "Minimum Requirements for 150 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 29th April, 1999, vide Medical Council of India Notification No. 35(1)/1998-Med. (ii) dated the 30th March, 1999 and amended vide Corrigendum dated 24th June, 1999 and further amended vide Notification dated 20th October, 2008, 8th July, 2009, 13th November, 2009, 18th January, 2010 and 30th January, 2010.